न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
66 / 2025	16 / 09 / 2025	6/1/2026

उदमसिंह गोचर पुत्र राधेश्याम गुर्जर नि० खोडावदा तह० पीपल्दा जिला कोटा।

बनाम

1. मंजूरआलम पुत्र मांगीलाल
2. इरफान मोहम्मद पुत्र संगीर मोहम्मद
3. नासिर हुसैन पुत्र बाबूभाई जातियान मुसलमान नि० खोडावदा तह० पीपल्दा माफीदार दरगाह पीर जी महाराज।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने निवेदन किया कि ग्राम खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खसरा संख्या 108, व 109 दरगाह सिकन्दर पीर के नाम से स्थित है। उक्त खसरा संख्या 108 व 109 के मध्य सेटलमेंट से पूर्व सरकारी आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज था लेकिन राजस्व अधिकारियो द्वारा सेटलमेंट के बाद सहवन से नया नक्शा बनाते समय उक्त आम रास्ते को विलोपित कर दिया जो कि नक्शा सेटलमेट के पूर्व व वर्तमान नक्शा व मिलान क्षेत्रफल से बखूबी साबित है। खसरा नम्बर 133 वाली पाल खसरा संख्या 108 व 109 पर नये खसरे मे बन्द हो गई है तथा पुराने नक्शे सेटलमेंट के पहले के मे खसरा संख्या 107 वाले रास्ते मे मिलती थी। उक्त नक्शे मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा हुई त्रुटि के कारण गाँव वालो के सामने रास्ते की परेशानी उत्पन्न हो गई है। उक्त त्रुटि को सही किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 108 व 109 के नक्शे में सहवन से हुई त्रुटि को सही किया खसरा संख्या 108 व 109 के मध्य पूर्व कि स्थिति के अनुसार रास्ते का अकंन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम की जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित प्रार्थना पत्र में सेटलमेंट द्वारा नक्शे में कोई त्रुटि की गई है तो आप प्रार्थीगण को त्रुटि दुरुस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थीगण की माफी की भूमि पर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है जो कि न्यायोचित नहीं है खसरा नंबर 9 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा नंबर 88 रकबा 0.74 हेक्टेयर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.68 हेक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 1.13 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 104 रकबा 0.47 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 108 रकबा 0. 15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.60 हेक्टेयर, भूमि वाके ग्राम खोड़ावदा दरगाह पीर जी महाराज के खातेदारी की भूमि है उपरोक्त भूमि को संरक्षित करते हुए न्यायोचित आदेश पारित करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि गैर मुमकिन पाल व गैर मुमकिन रास्ता भूमि तथा अप्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाना आवश्यक है प्रार्थी उधम सिंह द्वारा गैर मुमकिन पाल पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन दरगाह की भूमि की पैमाईश करवाई जाकर प्रार्थी के द्वारा कोई अतिक्रमण पाया

उपखण्ड अधिकारी

जाता है तो उसको भी अतिक्रमण मुक्त करवाया जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित भूमि का सीमांकन करवाया जाकर प्रार्थी द्वारा किए गए पाल व रास्ते पर तथा दरगाह की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाने का आदेश प्रदान करे। मुताबिक जवाब सरकार अनुसार ग्राम खोड़ावदा के पुराने आराजी खसरा नम्बर 133 से खसरा नं. 107 जुड़ा हुआ नहीं है। पूर्व में ग्राम खोड़ावदा के गत सेटलमेंट जमाबन्दी के आराजी खसरा नंबर 108 गत आराजी खसरा नं. 101 गे.मु. रास्ते से जुड़ा हुआ था। जो ग्रामीण के लिये रास्ते में उपयोग लिया जा रहा था। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार गत नम्बरान 101 के नये नम्बर 107 तथा गत खसरा नम्बर 108 से 133 नये खसरा नम्बर बने हैं। यह है कि गत खसरा नम्बर 108 किस्म गे.मु. खाल जो एक छोर पर रास्ते के आराजी खसरा न. 101 गे.मु. रास्ते से मिलता था। किन्तु वर्तमान खसरा न. 133 नये खसरा न. 107 मिलकर खसरा न. 108 की मेढ पर खत्म हो जाता है। जो सहवन से हुआ है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व जवाब सरकार के अनुसार नवीन नक्शे को पुराने नक्शे अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0सं0 108 व 109 के मध्य पूर्व कि स्थिति के अनुसार रास्ते का अंकन किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा